(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3185–एक/2015 विरूद्ध आदेश 11–9–2015 – पारित – व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, जौरा जिला मुरैना – प्रकरण कमांक 12/2013–14 अपील

देवेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व0 भोजपाल सिंह
निवासी कस्वा जौरा जिला मुरैना,म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– सुरेन्द्र पाल सिंह
2– बृजेन्द्रपाल सिंह
3– सतेन्द्र पाल सिंह
तीनों पुत्रगण स्व.सूरजपाल सिंह जादौन
निवासीगण कमला भवन, दाल बाजार
तिराहा लश्कर कृषक ग्राम अलापुर
तहसील जौरा जिला मुरैना, म0प्र0 ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 20– 4 – 2016 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, जौरा जिला मुरैना व्दारा प्र0क0 12/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–9–2015 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम अलापुर स्थित उभय पक्ष की सामिलाती भूमि कुल किता 24 कुल रकबा 4.881 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का बटवारा तहसीलदार जौरा ने प्र0क0 9 अ–27/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30–5–2012 से किया। इस आदेश

के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के समक्ष अपील कमांक 12/2013-14 दिनांक 17-3-2015 को प्रस्तुत की एंव अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी जौरा ने अंतरिम आदेश दिनांक 11-9-15 पारित किया एंव अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण गुणदोष विचार हेतु नियत किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार जौरा व्दारा प्रकरण में विधिवत् उदघोषणा का प्रकाशन कराया है अनावेदकगण ग्राम के कृषक हैं एंव उनका ग्राम में निवास है जिसके कारण सही पते पर तामीलें भेजी गई। अनावेदकगण जो ग्वालियर नगर का पता बता रहे हैं वह अस्थाई पता है क्योंकि ग्राम में उनका निवास होकर खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बटवारा आदेश दिनांक 30-5-12 का है बटवारे में आवेदक को जो भूमि प्राप्त हुई, उसके वाद भूमि में सिंचाई के साधन हेतु 2 ट्यूव वैल लगवा दिये। प्रत्येक खेत की मेढ़ अपनी भूमि में से तैयार कर पानी रोकने के बंधान बना लिये हैं। ग्रामीणों से गोबर खरीदकर मिटटी में मिलवाकर मिटटी अधिक उपजाउ बनाई है अब अनावेदक ने उन्नत कृषि योग्य भूमि देखकर लालच में दुवारा बटवारा कराने की साजिस रची है एंव अनुविभागीय अधिकारी ने इसे नजरन्दाज करके अनुचित विलंब

को क्षमा किया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसील न्यायालय व्दारा एकपक्षीय कार्यवाही करके बटवारा किया है फर्दो का प्रकाशन सही ढंग से नहीं कराया। अनावेदकगण को सूचना नहीं दी। तहसील न्यायालय ने बटवारा आदेश भी अनावेदकगण पर सॅसूचित नहीं कराया जिसके कारण अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये गये सही सही विवरण पर विचार कर अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा किया है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि बटवारे का प्रकरण कमांक 9 अ 27/11-12 पंजीबद्व करने के उपरांत तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि का बटवारा करने हेतु पेशी 20-4-12 नियत कर दिनांक 20-3-12 को इस्तहार का सार्वजनिक प्रकाशन कराया है जिसकी एक प्रति ग्राम पंचायत अलापुर के नोटिस बोर्ड पर एंव एक प्रति ग्राम के चौपाल पर चस्पा कराई गई है एंव इस्तहार के पीठ पृष्ठ पर तामील कुनिन्दा की तदाशय की टीप अंकित है। अतएव इस्तहार के प्रकाशन में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की गई है।

6/ आवेदक ने तहसील न्यायालय में बटवारे का दावा दिनांक 20-3-12 को प्रस्तुत किया है जिसके संलग्न अनावेदक को आहुत किये जाने हेतु तलवाना शुल्क जमा किया है । तहसीलदार ने अनावेदकगण को पेशी 20-4-11

नियत कर दिनांक 20-3-12 को व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी किया है जिसके पीठ पृष्ठ पर तामील कुनिन्दा की इस प्रकार टीप है :-

'' सुरेन्द्रपाल सिंह, विजेन्द्र पाल सिंह, सतेन्द्र पाल सिंह निवासी धमकन हाउस जौरा इनके घर पर गया यह नहीं मिले। ऐसी सूरत में एक प्रति इनके मकान पर चस्पा की। दिनांक 30-3-12 ''

स्पष्ट है कि तहसीलदार ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये सूचनापत्रका निर्विहन अनावेदकगण पर कराया है क्योंकि अनावेदक ग्राम अलापुर के कृषक होकर जौरा नगर में निवासरत् हैं जहॉ तक ग्वालियर में अनावेदकगण का अस्थाई निवास होना बताने का प्रश्न है अनावेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि अनावेदकगण ने अपने अस्थाई निवास ग्वालियर के पते की जानकारी पटवारी को अथवा अन्य राजस्व अधिकारियों को पूर्व में ही दे दी है। अतएव तहसीलदार व्दारा सूचना न देने वावत् अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा उठाई गई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

7/ तहसीलदार जौरा के प्रकरण कमांक 9/11-12 ब-27 के अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण में पृष्ठ कमांक 5 पर पटवारी अलापुर को लिखे गये पत्र की प्रति संलग्न है जिसमें निम्नानुसार निर्देश पटवारी को दिये गये हैं-

''अतः आप प्रस्तावित फर्द बटवारा हितबद्ध पक्षकारान की उपस्थिति में मौका पर तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।''

पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द प्रकरण में पृष्ठ 10 पर संलग्न है जिसमें पटवारी ने टीप अंकित की है कि आवेदक के आवेदन पत्र व अनुबंध पत्र व कब्जा मौका व स्वत्व अनुसार फर्द बटवारा तैयार किया गया। स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच पूर्व

में हुये अनुबंध एंव घरू बटवारे अनुसार कब्जे के मान से पटवारी ने मौके पर फर्दे तैयार की हैं जिसमें किसी प्रकार की कमीवेशी नजर नहीं आती है। 8/ यह निगरानी मूलरूप से अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अनावदेकगण व्दारा विलम्ब से प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को क्षमा करने के अंतरिम आदेश के विरूद्व है क्योंकि अनावेदकगण ने तहसीलदार के बटवारा आदेश दिनांक 30-5-12 के विरूद्व प्रथम अपील दिनांक 17-3-15 को अर्थात 2 वर्ष 9 माह से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत की है। विचार योग्य है कि जब उभय पक्ष ग्राम अलापुर के कृषक होकर जौरा नगर में निवासरत है एंव प्रतिवर्ष अपने अपने हिस्से की भूमि पर खेती करते आ रहे हैं एंव राजस्व प्रशासन की ओर से कृषको को / ग्राम पंचायत को वर्ष दर वर्ष खसरे की प्रतियॉ उपलब्ध कराई जाती हैं तब क्या अनावेदकगण को उनके खाते की भूमि के दिनांक 30.5.12 को बटवारा होने की जानकारी समय पर नहीं हुई, जबकि आवेदक के अभिभाषक के अनुसार आवेदक बटवारे में प्राप्त भूमि पर सिंचाई के साधन हेतु 2 ट्यूव बैल खुदवा चुका है एंव प्रत्येक खेत की मेढ़ें तैयार कर पानी रोकने हेतु बंधान बना चुका है क्या अनावेदकगण को आवेदक व्दारा खेतों पर कराये गये उक्तानुसार कार्यो के माध्यम से जानकारी नहीं हुई होगी एंव उन्होंने खेतों में बिना बटवारे के उक्तानुसार कार्य करने पर आवेदक से रोक टोक एंव पूछताछ नहीं की होगी। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन मेंअंकित तथ्य इन सभी तथ्यों से मेल नहीं खाते है।

रामलाल बनाम रीवा कोल फील्डस लिमिटेड 1962 म.प्र.लॉ.ज. 602 एंव बीतारानी बनाम भगवतीवाई 2006 (2) म0प्र0लॉ0ज0 45 (म.प्र.) में व्यवस्था दी गई है क अपील फाइल करने की अवधि का अवसान हो गया था। इस अवधि के अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व में ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि इस मूल्यवान अधिकार में आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुये पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुदकमेवाजी बढ़ाने के उद्धेश्य से अनुचित विलम्ब (अर्थात 2 वर्ष 9 माह) को क्षमा करने की भूल की गई है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 11.9.15 स्थित रखे जाने योग्य नहीं है।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, जौरा जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 12/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-9-2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर